भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(47)

न्यायालय राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर (कैम्प उज्जैन)

न्यायालय श्रीमान अपर कमिश्नर महोदय, उज्जैन केम्प मदसोर

R. 3750 - III/14

प्र०क० :- 17/13-14 निगरानी

1. जोहरीलाल पिता भेरूलाल प्रजापत आयु 65 साल धंधा खेती

निवासी सदर बाजार मल्हारगढ़ जिला मदसोर ..... आवेदक

विरूद्ध

1. हिरालाल पिता भेरूलाल प्रजापत उम्र 50 साल धंधा खेती

2. श्यामाबाई बेवा बंशीलाल प्रजापत आयु 52 साल धंधा खेती

3. गोपाल पिता बंशीलाल प्रजापत आयु 35 साल धंधा खेती

4. ज्ञानेश पिता बंशीलाल प्रजापत आयु 30 साल धंधा मजदूरी

5. मुख्य नगर पालिका अधिकारी मल्हारगढ़

समस्त निवासीगण/सदर बाजार मल्हारगढ़ जिला मदसोर ..... अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.संहिता 1959
विरूद्ध आदेश दिनांक 25.3.14 प्र०क० 05/अपील/13-14
न्यायालय कलेक्टर जिला मदसोर

R.M.
पी.जी. मेह. प्रशांत
अभिभाषक इंदौर
पेश
1-5-2014

473
7/5/2014

आदेश दिनांक 19-9-14
द्वारा सक्षम न्यायालय
में पेश करने हेतु
वापस।

अपर-आयुक्त
उज्जैन संभाग, उज्जैन

माननीय महोदय,

निगरानी प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थी के पिता भेरूलाल (मृत) जिनके वारिश 3 पुत्र होकर जोहरीलाल, हिरालाल व बंशीलाल है। बंशीलाल की मृत्यु हो गई है उसके उत्तराधिकारी उसकी बेवा श्यामुबाई, पुत्र ज्ञानेश एवं गोपाल है, उक्त पक्षकारगणो की पारिवारिक सम्पत्ति पैत्रिक मकान आदि मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर मे स्थित है। जिसमे से बंशीलाल के पुत्र ज्ञानेश द्वारा न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 नारायण गढ़ जिला मदसोर में वाद संस्थित कर प्रकरण क्रमांक 53ए/2012 के निर्णय दिनांक 1.3.13 के आधार पर अपना स्वत्व 1/4 के आधार पर निर्धारित करवा लिया है।

दिनांक 30-10-14 को
प्राप्त / 3513

क्रमांक ... आज दिनांक 10/14 को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(47)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3750-दो/14 **जिला** - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। (3) **प्रशासकीय सदस्य**	